सं.13011/1/2009–रा.भा.(नी.स.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनाकयक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक/मानदेय के संबंध में।

*****

अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक देने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 25.2.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं 13017/2/96 –रा0भा0 (नी0स0) तथा 21/26 जुलाई,2010 के का.ज्ञा.सं.13017/1/2010-रा.भा.(नी.स.) का अधिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं। कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों, जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य पारिश्रमिक के आधार पर करवाया जाए तथा पारिश्रमिक की दरें आकर्षक रखी जाएं। संहिताओं, नियम पुस्तकों, आदि के तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य सहित सभी प्रकार के अनुवाद कार्य की पारिश्रमिक की **नई दरें 250/-रूपए प्रति हजार शब्द देय होगी।**

2 पारिश्रमिक/मानदेय स्वीकृत करते हुए निम्न लिखित बातें ध्यान में रखी जाएं:-

(क) अनुवाद कार्य सेवा निवृत्त या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है। इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखें।

(ख) अनुवाद कार्य इस बात को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी डयूटी तथा उत्तरदायित्वों के कुशलता पूर्वक निर्वहन में बाध्यकारी न हो।

(ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों से पारिश्रमिक के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए।

(घ) विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा रहा है।

(ङ) इस पारिश्रमिक/मानदेय स्वीकृत पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा।

(च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते हैं या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने हैं उनके मसौदे हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल रुप में हिंदी में ही तैयार करें। जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए।

(छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.7.1998 की का.ज्ञा.सं. 17011/3/97-स्था.(भत्ते) के अनुसार मानदेय की अधिकतम सीमा राशि 5000/-रू. प्रतिवर्ष है।

3 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों /निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्य विधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य में कार्यरत तथा ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों जिनमें कार्यरत तथा सेवा-निवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर- सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, के द्वारा करवाया जा सकता है। **आवश्यकता होने पर विभिन्न मंत्रालय / विभाग / कार्यालय भी सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त योग्य व्यक्तियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों का पैनल बना कर उपरोक्त दर से पारिश्रमिक देकर उनसे अनुवाद कार्य करवा सकते हैं।**

4. सेवानिवृत्त योग्य व्यक्तियों द्वारा अनुवाद कार्य कराने पर उनको देय राशि मानदेय न होकर पारिश्रमिक है अतः सेवानिवृत्त योग्य व्यक्तियों को अनुवाद कार्य के लिए दी जाने वाली राशि पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.7.1998 की मानदेय सीमा लागू नहीं होगी।

5. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

6. यह कार्यालय ज्ञापन, गृह मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग (वित्त-II) के दिनांक 24.10.2011 की अ0वि0टि0सं0-36597-वित्त-II/2011 में दी सहमति से जारी किया जाता है ।

(एस.के.मल्होत्रा)
निदेशक (नीति), भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. संघ लोक सेवा आयोग ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई0पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
8. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
9. सरकारी उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
10. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारी/डेस्ट/अनुभाग/एकक।
11. निदेशक (अनुसंधान) एवं का0 राजभाषा विभाग (5 अतिरिक्त प्रतियां) अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को भिजवाएं तथा इसे राजभाषा भारती में प्रकाशित करवाएं ।
12. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
13. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
14. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।